डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2001—आश्विन 13, शक 1923

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग

(प्रारूप-चतुर्थ)

[देखिए नियम-5 (1)]

दुर्ग, दिनांक 15 मई 2001

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 (1951) का तीसवां की धारा-5 (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम 5 (1) देखिए.]

भगवान श्री राम जानकी मंदिर बड़ा मठ ट्रस्ट मठपारा, दुर्ग को सार्वजनिक ट्रस्ट.

चूंकि (1) डा. कृष्णकुमार पाण्डेय आ. श्री श्यामलाल पाण्डेय एवं अन्य 23 निवासी ग्राम दुर्ग. तहसील व जिला दुर्ग ने मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन में न्यायालय में दिनांक 31-7-2001 में लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उनके बारे में कोई आपत्तियां करने पर सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास और उसका गठन करती है.

अत: पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग, जिला दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 31-7-2001 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करने और कोई मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए उपरोक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1.	लोक न्यास का नाम और पता	भगवान श्री राम जानकी मंदिर बड़ा मठ ट्रस्ट, मठपारा, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग.
2.	सम्पत्ति का वर्णन	मठपारा, दुर्ग ख. नं. आबादी 790 नजूल भू-खंड क्र. 34 सीट क्र. 28 रकबा 41 डिस- मिल बराबर 1659 वर्ग मीटर भूमि पर भगवान श्री राम जानकी मंदिर और धर्मशाला बना है तथा मठपारा, दुर्ग में स्थित कृषि भूमि जो भगवान श्री राम जानकी मंदिर का बाड़ी है जिसका ख. नं. 792 र. 0.384 हे. है. रसमड़ा में स्थित मकान, कोठा, ब्यारा, कृषि भूमि तथा ग्राम डूमरडीह, नगपुरा, हसदा, खर्रा, मनकीडीह, बोरई, भरदाडीह एवं पीपरछेड़ी स्थित मंदिर के नाम पर कृषि भूमि इत्यादि.

अनुविभागीय अधिकारी
एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट धमतरी, जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़)

धमतरी, दिनांक 13 जून 2001

प्रकरण क्रमांक 7 ब/113 वर्ष 99-2000.

आवेदक श्री माधवसिंह ध्रुव पिता लक्ष्मणसिंह ध्रुव निवासी सिरसिदा, तहसील नगरी, जिला धमतरी एवं अन्य 26 ने "आदि शक्ति मां अंगार मोती ट्रस्ट" ग्राम गंगरेल, तहसील धमतरी जिला धमतरी, का मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति को लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने आवेदन प्रस्तुत किया हैं.

अत: सर्वसाधारण हितार्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई दिनांक 1-8-2001 को न्यायालय अवधि में रखी जावेगी. संबंधित पक्षकार को उक्त ट्रस्ट का हितार्थी हो और उसे ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस अधिसूचना के निकलने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करे और पेशी दिनांक को स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा मेरे समक्ष उपस्थित होवे. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

चल संपत्ति

(1) माता जी के श्रृंगार के आभूषण.

(अ)	सोना के आभूषण लगभग	-	10 ग्राम
	अनुमानित मूल्य लगभग	-	4000.00 रुपये
(ब)	चांदी के आभूषण लगभग	-	1 किलो 900 ग्राम
	अनुमानित मूल्य लगभग	-	13000.00 रुपये.

(2) ट्रस्ट के नाम बैंकों में जमा नगद राशि.

(अ) केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा धमतरी का खाता क्रमांक-23078 एवं जमा राशि 4000.00 रुपये (चार हजार रुपये).

(ब) स्टेट बैंक शाखा धमतरी का खाता क्रमांक ए. 6594 एवं जमा राशि 382.00 रुपये (तीन सौ ब्यासी रुपये).

(स) स्टेट बैंक शाखा धमतरी का खाता क्रमांक 6595 एवं जमा राशि 124.00 रुपये (एक सौ चौबीस रुपये).

अचल संपत्ति निरंक

टीप :—. ग्राम गंगरेल, प. ह. नं. 56, रा. नि. मं. एवं तहसील धमतरी, जिला धमतरी में सिंचाई विभाग के स्वामित्व में निम्नानुसार भूमि स्थित है :—

(1) ख. नं. 5 रकबा 0.98 एकड़—मातेश्वरी माता अंगार मोती देवी स्थल पूजा एवं दर्शनीय सार्वजनिक स्थल.

(2) ख. नं. 8 तथा 9 रकबा 7.50 एकड़—मातेश्वरी माता अंगार मोती देवी मड़ाई (मेला) वार्षिक समारोह स्थल.

नरेन्द्र शुक्ल,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, भाटापारा, जिला रायपुर

प्रारूप-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

भाटापारा, दिनांक 8 फरवरी 2001

क्र. 1 ब/113/2000-2001.

चूंकि मोहन लाल पुत्र दुलेश्वर, निवासी सिलवा, तहसील भाटापारा ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 8-1-2001 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो तो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करता है.

अत: मैं, पी. एस. नेताम, जिला रायपुर का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 8-3-2001 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या इसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

भाटापारा , दिनांक 27 अगस्त 2001

प्रकरण क्रमांक ब/113/ 2000-2001

आवेदक डॉ. वासुदेव ठाकुर कार्यकारी ट्रस्टी प्रेम प्रकाश मण्डल सेवा ट्रस्ट, संत कंवर राम वार्ड, भाटापारा, तहसील भाटापारा, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा इस कार्यालय में म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत सार्वजनिक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

मैं, पी. एस. नेताम रजिस्ट्रार आफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, भाटापारा, जिला रायपुर (छ. ग.) उक्त न्यास के ट्रस्ट पंजीयन के संबंध में सुनवाई हेतु दिनांक 29-9-2001 नियत करता हूं.

अत: इस आम विज्ञप्ति के द्वारा समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसका हित उक्त न्यास अथवा उक्त न्यास की संपत्ति से कोई संबंध रखता हो और कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्रस्तुत करना चाहते हों तो सुनवाई दिनांक 29-9-2001 तक अपनी आपत्ति तीन प्रतियों में इस न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी.

पी. एस. नेताम
रजिस्ट्रार एवं
अनुविभागीय अधिकारी

अन्य सूचनाएं

वन मण्डलाधिकारी, कोरबा वन मंडल, कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 30-5-2001

आदेश क्रमांक मा.चि./457.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पार्श्व में दर्शाया गया ऐलॉग परिसर का बीट हेमर श्री एम. आर. पनरिया द्वारा दिनांक 19-5-2001 को जंगल गश्त करते समय कहीं गिर गया, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है. इसकी सूचना पुलिस थाना करतला में दी जा चुकी है.

वन-वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त गुमशुदा बीट हेमर को वनमंडल के स्टाक से अपलेखित किया जाता है. उपरोक्त हेमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो वे कृपया निकटतम थाने में अथवा वनमंडल कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति यदि गुमशुदा बीट हेमर को अनाधिकृत रूप से रखने अथवा उपयोग में लाते पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी.

उक्त गुमशुदा बीट हेमर का कीमत रुपये 24.00 (रुपये चौबीस) मात्र श्री एम. आर. पनरिया, परिसर रक्षक से वसूल करने के आदेश जारी किये जाते हैं. साथ ही हेमर जैसे महत्वपूर्ण वस्तु को सुरक्षित न रखते हुए शासकीय कार्य में असावधानी बरतने के कारण श्री एम. आर. पनरिया, परिसर रक्षक को चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.

एल. एल. राठौर,
वनमण्डलाधिकारी.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.